



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4231

इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44928 वर्ष 2025 शेर सिंह
.....आवेदक बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अजय कुमार मिश्रा, राजेश कुमार यादव विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री अजय कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री दीपक कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 88/2025, धाराएँ 115(2), 352, 351(3), 103(1) एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना दिलारी, जिला मुरादाबाद, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ छिद्दा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 36484 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूँकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 29.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नबहन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस राम विश्मोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णयों के प्रकाश में विचार करने पर, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
7. आवेदक - शेर सिंह, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"